पुलिस अधिनियम, 1949[1]

(1949 का अधिनियम संख्यांक 64)

[27 दिसम्बर, 1949]

दो या अधिक [2][संघ राज्यक्षेत्रों] को सम्मिलित करते हुए एक साधारण पुलिस जिला गठित करने के लिए और उसके लिए पुलिस बल के स्थापनार्थ उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

यत: यह समीचीन है कि दो या अधिक [2][संघ राज्यक्षेत्रों] को सम्मिलित करते हुए एक साधारण पुलिस जिला गठित करने के लिए और उसके लिए पुलिस बल के स्थापनार्थ उपबन्ध किया जाए ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पुलिस अधिनियम, 1949 है ।

(2) इसका विस्तार सभी [3][संघ राज्यक्षेत्रों] पर है ।

(3) यह किसी [4][संघ राज्यक्षेत्र] में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, [5][ऐसे राज्यक्षेत्रों] के लिए इस निमित्त नियत करे ।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में "साधारण पुलिस जिला" से धारा 3 के अधीन गठित साधारण पुलिस जिला अभिप्रेत है ।

3. दो या अधिक संघ राज्यक्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए साधारण पुलिस जिले का गठन—पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दो या अधिक [2][संघ राज्यक्षेत्रों] को सम्मिलित करते हुए एक साधारण पुलिस जिला गठित कर सकती है ।

4. साधारण पुलिस जिले के लिए एक पुलिस बल का गठन—एक साधारण पुलिस जिले का समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल होगा और वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति से गठित होगा जैसी केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

5. पुलिस का अधीक्षण और प्रशासन—(1) साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा और उसके द्वारा किया जाएगा ।

(2) उक्त पुलिस बल का प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करेगी और जो उस पुलिस बल की बाबत पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के अधीन पुलिस-महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

6. पुलिस अधिनियम, 1861 का लागू होना—इस अधिनियम में अभिव्यक्तत: अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के उपबन्ध, साधारण पुलिस जिले के लिए गठित पुलिस बल को ऐसे लागू होंगे मानो वह किसी राज्य के लिए गठित एक पुलिस बल है, और साधारण पुलिस जिले के अन्तर्गत [6][किसी राज्यक्षेत्र] के प्रत्येक भाग के लिए उक्त पुलिस बल के सदस्यों की वही शक्तियां, कर्तव्य और विशेषाधिकार होंगे और वे उन्हीं दायित्वों के अध्यधीन होंगे जो उनकी होती या जिनके वे अध्यधीन होते यदि वे पुलिस अधिकारी के रूप में एक राज्य सरकार के अधीन पुलिस स्थापन गठित करते ।

7. व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई बात दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

———

[1] यह अधिनियम गोवा,दमण और दीव पर यथा संशोधित 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा विस्तारित हुआ और पांडिचेरी में 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से), दादरा और नागर हवेली में 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) और लक्षद्वीप के 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) प्रवृत्त हुआ ।

[2] विधि अनुकूलन (संख्यांक 3) आदेश, 1956 द्वारा "मुख्य आयुक्त के प्रांतों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (संख्यांक 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन (संख्यांक 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन (संख्यांक 3) आदेश, 1956 द्वारा "ऐसे राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] विधि अनुकूलन (संख्यांक 3) आदेश, 1956 द्वारा "कोई राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।